

निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:-
पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,
अवर निबंधक,
अवर निबंधन कार्यालय,
फारबिसगंज (आररिया)।

पटना, दिनांक:.....

विषय:- सर्वश्री एस० एण्ड पी० इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज को लीज डीड निबंधन हेतु राम्प इयूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के संकल्प सं० ६९। दिनांक ०९.०६.११ द्वारा विर्गत औद्योगिक प्रोत्ताहन वीति २०१। की कंडिका-१(क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के पत्रांक २५।६ दिनांक २२.०७.१। एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या ३२।६/३२।७ दिनांक २४.१०.१। के आलोक में उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर सम्यक विचारोपांत सर्वश्री एस० एण्ड पी० इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज को Steel Nail, Fabrication (Iron Nail, Steel Almirah, Steel Bucket, Steel Trunk & Cupboard) इकाई रथापना हेतु Plot No.-60(Part), Area-5000 Sqft, Industrial Area, Farbisganj के लीज डीड निबंधन पर लगने वाले राम्प इयूटी एवं निबंधन शुल्क से शत प्रतिशत छूट अनुमान्य की जाती है। इकाई के लिये प्रत्येक पर जिला रत्तीय रिंगल विंडो वलीयोरेस समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया हस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने के उपरांत राम्प इयूटी/ निबंधन शुल्क में छूट की गणि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताकारी को भी उपलब्ध करावा सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
६०/-

ज्ञापांक:.....

पटना, दिनांक:.....

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना, जिला पदाधिकारी, आररिया/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

६०/-
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: ७२३

पटना, दिनांक: ०८.०३.१६

प्रतिलिपि:- सर्वश्री एस० एण्ड पी० इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज, आररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० ठी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबराइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

७२३
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।
०८.०३.१६